



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 851] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2018/अग्रहायण 12, 1940
No. 851] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2018/AGRAHAYANA 12, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.1158(अ).—केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकता नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (दूसरा) संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- नागरिकता नियम, 2009 में, अनुसूची 1 में,-

(क) प्ररूप 2 के भाग 1 में, क्रम संख्यांक 6क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6क. क्या आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई में से एक से संबंधित हैं? हां/नहीं

यदि, हां, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(ख) प्ररूप 3 के, भाग 1 में, क्रम संख्यांक 8क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“8क. क्या आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई में से एक से संबंधित हैं? हां/नहीं

यदि, हां, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(ग) प्ररूप 4 के, भाग 1 में, क्रम संख्यांक 8क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“8क. क्या आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई में से एक से संबंधित हैं? हां /नहीं

यदि, हां, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(घ) प्ररूप 5 के, भाग 1 में, क्रम संख्यांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5क. क्या आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई में से एक से संबंधित हैं? हां /नहीं

यदि, हां, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(ङ.) प्ररूप 6 के, भाग 1 में, क्रम संख्यांक 7क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“7क. क्या आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई में से एक से संबंधित हैं? हां /नहीं

यदि, हां, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(च) प्ररूप 7 के, भाग 1 में, क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“7क. क्या आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई में से एक से संबंधित हैं? हां /नहीं

यदि, हां, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(छ) प्ररूप 8 के, भाग 1 में, क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“3क. क्या आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई में से एक से संबंधित हैं? हां /नहीं

यदि, हां, कृपया विनिर्दिष्ट करें

[फा. सं. 26011/एमआईएससी/29/2018-ओसीआई]

अनिल मलिक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 124(अ), तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 1049 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi the 3rd December, 2018

G.S.R.1158(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizenship Rules, 2009, namely :-

1. (1) These rules may be called the Citizenship (Second) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Citizenship Rules, 2009, in the Schedule I,—
 - (a) in Form II, in Part I, for serial number 6A and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“6A. Do you belong to one of the minority communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians?

Yes/ No

If, yes, please specify

(b) in Form III, in Part I, for serial number 8A and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“8A. Do you belong to one of the minority communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians?

Yes/ No

If, yes, please specify

(c) in Form IV, in Part I, for serial number 8A and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“8A. Do you belong to one of the minority communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians?

Yes/ No

If, yes, please specify

(d) in Form V, in Part I, for serial number 5A and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“5A. Do you belong to one of the minority communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians?

Yes/ No

If, yes, please specify

(e) in Form VI, in Part I, for serial number 7A and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“7A. Do you belong to one of the minority communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians?

Yes/ No

If, yes, please specify

(f) in Form VII, in Part I, after serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number shall be inserted, namely:-

“7A. Do you belong to one of the minority communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians?

Yes/ No

If, yes, please specify, and

(g) in Form VIII, in Part I, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number shall be inserted, namely:-

“3A. Do you belong to one of the minority communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians?

Yes/ No

If, yes, please specify

[F. No. 26011/MISC/29/2018-OCI]

ANIL MALIK, Jt. Secy

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 124 (E), dated the 25th February, 2009 and last amended *vide* notification number G.S.R.1049 (E), dated the 18th October, 2018.